

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/03/22	पी.ओ. साहब उद्योग / स्थानान्तरण / धमका पर होने से दिनांक 30.03.22 को पेश हो <u>रक</u>	
30/03/22	फावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची व पश्चिम अनुपस्थित रहने के कारण मूल बाह्य अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.12.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाकर फावली स्वी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। फावली निर्मित शुमार होबर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।	
	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	